स्लम विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्लम इलाकों में रहने वालों एवं अन्य के लिए आवासीय पंजीकरण योजना-1985

विषय :— आपकी पंजोकरण संख्या/आवेदन संख्या 47098 दिनांक..................
आग्रता संख्या नं० (प्रायरटी संख्या नं)....16214/5....

श्रीमान/श्रीमती

स्लम विभाग दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गन्दी बस्तियों में रहने वाले एवं अन्य के लिए आवास आबंटन करने हेतु पंजीकरण योजना—1985 के अन्तर्गत पंजीकृत लोगों को आवास देने हेतु योजना पर विचार किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत सभी लोगों को निर्मित चार मंजिला मकान देने का प्रावधान था, परन्तु अब इस योजना के अन्तर्गत (32 वर्ग गज) 26 वर्ग मीटर का प्लाट देने के लिए विचार किया जा रहा है। इस प्लाट के निर्माण के लिए सामूहिक सहकारी समितियों का गठन किया जाना है जो कि हुड्को तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करके इन मकानों का निर्माण करेगी।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण, स्लम विभाग यह महसूस करता है कि इस योजना के कार्यान्वित करने पर सामूहिक सहकारी समितियों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को ज्यादा समय नष्ट किए बगैर कुछ कम कीमत पर एक मंजिला अच्छे मकान, टिकाऊ, हवादार पूर्ण सुविधाओं से सुसज्जित कम से कम भूमि का प्रयोग कर बनाकर देने का प्रावधान करेगा। यह मकान सहकारी समितियां अपने सदस्यों की इच्छा व आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण में बनायेगी।

3. आप सभी से निवेदन किया जाता है कि आप अपनी स्वीकृति लिखित रुप में भिजवायें कि क्या आप 26 वर्ग मीटर (32 वर्ग गज) का प्लाट सामूहिक सहकारी समितियों के सदस्य बनकर प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं ?

4. 26 वर्ग मीटर (32 वर्ग गज) का प्लाट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण एवं विकसित रुप में सामूहिक सहकारी समितियों के माध्यम से आपको मकान निर्मित करने के उद्देश्य से दिया जाएगा। स्लम विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण आपके लिए सामूहिक सहकारी समितियों को मकान निर्माण हेतु ऋण हुड्को व अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त करवाने में आपकी पूरी सहायता करेगा। यह एक सुनहरी अवसर आपको दिया जा रहा है ताकि आप अपने विवेक से यह निर्णय ले सके कि आपने सामूहिक सहकारी समितियों के माध्यम से 26 वर्ग मीटर (32 वर्गगज) का प्लाट पर निर्मित एक मंजिला मकान प्राप्त करना है या स्लम विभाग द्वारा निर्मित चार मंजिला फलेट लेना है जब कभी भी वे बन कर तैयार होंगे।

5. इस कार्यालय द्वारा पंजीकरण के समय जारी की गई पुस्तिका में यह जानकारी दी गई थी जो मकान आपको आबंटित किए जाएंगे, वे चार मंजिले होंगे, लेकिन सामूहिक सहकारी समिति के माध्यम से आबंटित प्लाट 26 वर्ग मीटर के होंगे, जो कि कभी भी एक मंजिल व उससे अधिक में बन सकेंगे। प्लाटों में अतिरिक्त निर्माण का भी प्रावधान रखा गया है, अगर आप इस योजना में रुचि रखते हैं तो आपका नाम सामूहिक सहकारी योजना की प्रणाली में विचार हेतु प्रविष्ट किया जाएगा।

6. आप अपनी राय संलग्न फार्म पर भर कर अधोहस्ताक्षरी को स्लम विभाग, विकास, कुटीर "बी" ब्लाक कमरा नं० बी-14 में दिनांक 15-7-89 को सायं 5 बजे तक 2/- रु० के शपथ पत्र नॉन जुडिशियल पेपर के साथ जिसमें अपने परिवार की मासिक आमदनी लिखी हो, प्रस्तुत करे।

7. वर्ष 1985 में मकान आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र पंजीकृत कराने हेतु जारी पुस्तिका में दिए गए नियम व शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी। वर्तमान योजना एक नया उपहार है, जैसा कि विवरण पुस्तिका में दिया गया है। यह आबंटन की सुविधा समस्त पंजीकृत आवेदकों को प्रदान की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि आप अपने परिवार की आमदनी का एफिडेविट पूरी सावधानी से तथा वर्तमान स्थिति के अनुसार भरें। ऋण प्राप्त करने की सुविधा सामूहिक सहकारी समिति को आपकी वर्तमान आय के अनुसार ही प्राप्त हो सकेगी। उन परिवारों को जिनकी आय प्रतिमाह 700/- रु० तक होगी ऋण की सीमा 15000/- रु० तक होगी एवं उन परिवारों को जिनकी आय 701/- से 1500/- रु० तक होगी उनकी ऋण की सीमा 30000/- रुपये होगी। यह अवसर अपनी सहमति/इच्छा बदलने के लिए उन सभी पंजीकृत आवेदकों के लिए लागू है, जो स्लम विभाग की आवास योजना-1985 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, चाहे वे किश्तों पर हैं या नकद भुगतान पर हैं।

8. इस योजना के अनुसार समस्त स्रोतों से पारिवारिक आय के आधार पर ही सामूहिक आवासीय समितियों का गठन किया जाएगा। जिन आवेदकों ने स्लम आवास योजना-1985 के अन्तर्गत अपना पंजीकरण किश्तों के आधार पर करवाया हुआ है, उनको प्लाट तथा मकान की कुल लागत का 25% राशि पुस्तिका की शर्तों के अनुसार जमा करानी होगी। जिन आवेदकों ने नगद भुगतान के अन्तर्गत अपना पंजीकरण करवाया है, उनको सामूहिक सहकारी समिति एवं निर्माण कार्य में निपुण व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात समय-२ पर कार्य पूर्ण पाए जाने पर ही नगद भुगतान करना होगा।

9. एक बार आपकी इच्छा/सहमति आने पर ही बाकि विवरण भूमि एवं क्षेत्र से सम्बन्धित तथा आपको सहकारी समितियों के विषय में अलग से सूचित किया जाएगा।

10. आपकी इच्छा 26 वर्गमीटर (32 वर्ग गज) का प्लाट सामूहिक सहकारी आवास समितियों के अन्तर्गत लेने हेतु आने पर ही स्लम विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1985 के आवेदकों की निकाली गई वरियता क्रम सूची के आधार पर सामूहिक समितियां संस्थापित करने का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा।

स्वीकार नहीं है (signature)

उपनिदेशक (आवास स्लम)

रसीद

स्लम विभाग

दिल्ली विकास प्राधिकरण

आवेदन सं०

№ 47098

Option Form issued

आवेदक का नाम....[illegible]....

Housing Branch

स्लम निवासियों और अन्य लोगों के लिए आवासीय [illegible] पंजीकरण योजना-1985 के अंतर्गत पंजीकरण कराने के लिए उपयुक्त संख्या वाला आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

Wing, D.D.A.

दिनांक......................

C. B. I.

[illegible]

KALKAJI

(मुहर सहित प्राधिकृत बैंक के कर्मचारी के हस्ताक्षर)

प्रतिलिपि

Copy forwarded to .... Date 26/9/86

....

.... Pin Code 110003

इस आशय के साथ प्रषित कि वे आवेदक को उस शाखा का नाम सूचित करें जहां पर उनके आवेदन पर अगली कार्रवाई की जानी हैं।

With a request to advice the applicant the name of the branch where he/she should approach for further necessary action in the matter.

आवेदक का नाम ...... SANWAR MAL ....
Applicants Name

पिता/पति का नाम ...... MATHURA PRASHAD ....
S/o / D/o

पता ...... 6/1 KHER PUR KOTHLA MUBARK PURA
Address ...... NEW DHDELHI - 110003 ....

....

संयोजक
Convenor
अंचल समिति
Zonal Committee

Nº 47098

Annexure II

SLUM WING
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

1624/G

[illegible] REGISTRATION SCHEME FOR SLUM DWELLERS AND OTHER- 1985 -
SLUM WING DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Challan fo[illegible] of Registration [illegible] form issued
Deposit to [illegible] Bank of India/ Housing [illegible]
Oriental Bank of Commerce, by the Slum Wing, DDA
intending Registrant for the credit of
Slum Wing DDA A/C of DIRECTOR (SLUM) DDA)

(To be made over to the Registrant for his/her record, by the Bank)

A.D. (H)

[Stamp: पंजाब नैशनल बैंक ... 27 JAN 1986 ... Cashier]

Name and Branch of the Bank where payment of Registration Deposit is being remitted.

Name and postal address as filled in the in the Application Form	Amount Deposited (Rs.)
SANWAL MAL N6770 [illegible] Khadar Kotla Mubarakpur N.D.3	3000/-

Cash/Demand Draft No. _ _ _ _ _ Dated
Name of the Bank which drawn _ _ 27-1-86

Amount deposited (in words) _ _ _ _ _ _ _ _
Three Thousand Only

Signature of Applicant
सावरमल

(Authorised Bank Official's Signature with Seal)